thern Jaffna peninsula fled to India following the recent Sri Lankan military action in that peninsula;

(b) if so, the number of Tamilians who have come from Jaffna during the period since the operation began and also the total number of Sri Lankan refugees in India at present; and

(c) what is Government's reaction thereto and what steps Government have taken for their rehabilitation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The large scale influx of Sri Lankan refugees following the military offensive started from he 10th June, 1987. From the 10th June, 1987 to the 3rd August 1987, 5183 Sri Lankan refugees had come into India. The total number of refugees who came to India between July 1983 and 3-8-87 is 1,34,034.

(c) Government had expressed its strong concern at the military action which had resulted in the influx of the refugees. Government continued its efforts to facilitate a political solution to the ethnic problem. These have met with initial success. Under the Indo-Sri Lanka Agreement of the 29th July, the return of Sri Lankan refugees to their homeland is now made possible. No rehabilitation is planned for the Sri Lankan refugees as they are to go back to their own country.

Tamil refugees in India

1830. SHRI KALPNATH RAI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of Tamil refugees who crossed over to India from Sri Lanka during this year and also the number of those who came to India from that country on earlier occasions;

(b) the expenditure being incurred by the Central Government for their

(c) the steps being taken to send these refugees back to their homeland?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) 5506 upto the 3rd August, 1987. The total number of Sri Lankan refugees who came to India between July 83 and the 3rd August 1987, is 1,34,034.

(b) Upto the end of May, 1987, an expenditure of Rs. 11.59 crores had been incurred by Government on providing relief to the refugees and on the construction and running of camps for accommodating them.

(c) In terms of the "Indo-Sri Lanka Agreement" of the 29th July, 1987, all the Sri Lankan refugees are expected to return to their country.

दिल्ली में जहरीली शराब पीने से हुई मौतें

1831. **श्री रामसिंहभाई पातलीयाभाई राठवा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई 1987 में किसी समय चाणक्यपुरी क्षेत्र में "बापूधाम" और "इन्दिरा कैम्प" के कुछ निवासियों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो गई और कुछ लोगों की हालत गम्भीर हो गई ;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1 जनवरी, 1986 से 15 जुलाई, 1987 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में इस प्रकार की कितनी घटनाएं हुईं तथा जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मृत्यु हुई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) बताया जाता है कि 12 जुलाई, 1987 को 4 व्यक्तियों ने जहरीली शराब पी, 2 व्यक्तियों की

की हालत गम्भीर हो गई। अब उनकी हालत सुधर गयी है।

(ग) इस अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस के ध्यान में उक्त प्रकार की केवल एक ही घटना आई है।

गुजरात में वस्त्र मिलों का अधिग्रहण

1832. **श्री रामसिंहभाई पातलीयाभाई राठवा :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कितनी वस्त्र मिलों का अधिग्रहण किया है ;

(ख) उनमें से कितनी मिलों का अधिग्रहण गुजरात सरकार नैशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन तथा गुजरात टैक्सटाइल्स कारपोरेशन ने किया ;

(ग) उन मिलों के नाम क्या हैं तथा किस-किस तारीख को उनका अधिग्रहण किया गया ;

(घ) उनके नवीकरण/मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ङ) उन मिलों की संख्या कितनी है जो (i) लाभ कमा रही हैं तथा (ii) कितनी मिलें घाटे में चल रही हैं तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान उनमें से प्रत्येक मिल को कितना-कितना लाभ और घाटा हुआ ;

(च) भविष्य में कितनी मिलों का अधिग्रहण किए जाने का प्रस्ताव अथवा योजना है ;

(छ) क्या दिल्ली कलाथ मिल्स एवं देश में कुछ अन्य मिलों का अधिग्रहण किए जाने के लिए मांग प्राप्त हुई है ; और

(ज) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) संघ सरकार ने विगत तीन वर्षों में किसी भी वस्त्र मिल का प्रबंध अपने अधिकार में नहीं लिया है । केवल संघ सरकार की उद्योग (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क के अंतर्गत वस्त्र मिलों का प्रबंध अपने अधिकार में ले सकती है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(च) जून, 1985 के वस्त्र नीति विवरण में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि रुग्ण एककों को सरकार द्वारा अधिकार में लेने या उनका राष्ट्रीयकरण करने से रुग्णता की समस्या का निवारण नहीं हो जाता और सरकार सामान्यतया ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

(छ) विगत हाल में अनेक राज्य सरकारों ने संबंधित राज्यों में स्थित कुछ रुग्ण सूती वस्त्र मिलों को अधिकार में लेने/राष्ट्रीयकरण करने के लिए संघ सरकार से अनुरोध किया है। दिल्ली कलाथ मिल्स के संबंध में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ज) ये अनुरोध तमिलनाडु सरकार से वसंत मिल, हरिमिल और जनार्दन मिल, कोयम्बतूर, पश्चिम बंगाल सरकार से श्री दुर्गा स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, कोन्नागर, मध्य प्रदेश सरकार से सज्जन मिल, रतलाम आदि के बारे में प्राप्त हुए हैं।

संघ सरकार का उपर्युक्त भाग (च) में निर्दिष्ट कारणों से इन एककों में से किसी भी एकक को अधिकार में लेने/राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव नहीं है।

Inquiry Commissions

1833. DR. BAPU KALDATE:
SHRI M. S. GURUPADASWAMY:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Inquiry Commissions appointed by